426

10 रु. COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE FIVE RUPEES

बिलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी — R 2372-II/13

दुर्गाप्रसाद पुत्र किशोरीलाल,
निवासी ग्राम विजासिन, तेहसील गौरीहार,
जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

श्री ... द्वारा आज 21-6-13 को प्रस्तुत
21-6-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिराध्द

१- मध्यप्रदेश शासन,
२- संतोष कुमार | पुत्रगण गौरेलाल शुक्ला ।
३- ललन |
४- रज्जन |

समस्त निवासीगण, ग्राम विजासिन, तेहसील-गौरीशंकर, जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

23/6/13

निगरानी बिराध्द आदेश नायव तेहसीलदार महोदय, सरवाईसील गौरीहार दिनांक २६-७-१२ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९, प्र0क्र0 १३/अ-३/११-१२ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

१- यह कि, प्रतिप्रार्थी क्र0 लागायत ४ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम विजासिन स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक ४१६/१ पर मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ।

२- यह कि, उपरोक्त भूमि सर्वे क्रमांक ४१६ के समीप ही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2372-दो/2013 जिला छतरपुर दुर्गाप्रसाद विरूद्ध संतोष व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार सरवाईसील गौरिहार जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26-07-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 31.01.19 (आर.के. जैन) सदस्य	